

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
पंचम तल, सरदार पटेल भवन, नेहरू मार्ग, पटना - 800023
टेलीफोन नं० 0612-2547232 & ई-मेल info@bsdma.org
पत्रांक Computer No : 173011/...../प्राधि० पटना, दिनांक...../2026

अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM), नई दिल्ली के सहयोग से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे से सरदार पटेल भवन, पटना स्थित ऑडिटोरियम में "आपदा जोखिम प्रबंधन (Disaster Risk Management)" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु नाश्ता, चाय, पानी, लंच एवं हाई टी इत्यादि की आपूर्ति के लिए स्थानीय बाजार की इच्छुक एवं जीएसटी निबंधित फर्मों/एजेंसियों से अति अल्पकालीन सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं :-


क्रम.	सामग्री	अनुमानित संख्या	रिमाकर्स
1.	सुबह एवं शाम का चाय + बिस्कुट/स्नैक्स	350 व्यक्ति	
2.	लंच (Lunch) (Veg Hot N Sour Soup, Sprout Salad, Green Salad, Boondi Raita, Achhar Papad, Chatani, Paneer Lababdar, Mix Veg Kadai, Allo Dum Phojpuri, Peas & Jeera Pulao, Yellow Dal Fry, Naan, Hing Kachori, TD Roti, Gulab Jamun)	350 व्यक्ति	
3.	VIP के लिए मंच पर चाय+स्नैक्स+बिस्कुट+ड्राई फ्रूट्स एवं वाटर बोतल (हिमालयन ब्रांड)	30 - 50 व्यक्ति	

शर्तें एवं नियम

- 1 इच्छुक फर्म/एजेंसी/कोटेशनदाता निबंधित/रजिस्टर्ड डाक या हाथों-हाथ इस कार्यालय को दिनांक 13.07.2026 को पूर्वाह्न 12:00 बजे तक सीलबंद लिफाफा में उपलब्ध कराया जा सकता है।
- 2 फर्म का वार्षिक टर्नओवर 50 लाख से 01 करोड़ के बीच होना चाहिए। एजेंसी का चुनाव टर्नओवर/अंकों के आधार पर किया जायेगा। एजेंसी को 50 लाख के टर्नओवर पर 10 अंक, 60 लाख के टर्नओवर पर 15 अंक, 70 लाख के टर्नओवर पर 20 अंक, 80 लाख के टर्नओवर पर 25 अंक, 90 लाख के टर्नओवर पर 30 अंक और 01 करोड़ या उससे अधिक टर्नओवर होने पर 35 अंक प्रदान किये जायेंगे।
- 3 फर्म/एजेंसी/कोटेशनदाता का राज्य स्तर पर काम करने का अनुभव न्यूनतम 03 वर्ष से 05 वर्ष का होना चाहिए। अनुभव वर्ष के आधार पर यानी 03 वर्ष के अनुभव पर 10 अंक, 04 वर्ष के अनुभव पर 15 अंक और 05 वर्ष या उससे अधिक होने पर 20 अंक प्रदान किये जायेंगे।
- 4 फर्म/एजेंसी/कोटेशनदाता का किसी संस्था से ब्लैकलिस्टेड नहीं रहने के सम्बन्ध में स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- 5 कोटेशन में प्रत्येक मद की दर जीएसटी/सभी कर सहित स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य होगा।
- 6 केवल जीएसटी निबंधित फर्म/एजेंसी का कोटेशन ही स्वीकार्य होगा।
- 6 परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग, स्थापना, हटाने एवं अन्य सभी प्रासंगिक व्यय उद्धृत दर में शामिल होंगे।

- 7 कार्यक्रम स्थल पर सभी सामग्री एवं व्यवस्थाएँ कार्यक्रम प्रारंभ होने से कम-से-कम 03 घंटे पूर्व पूर्ण रूप से उपलब्ध एवं स्थापित कर दी जानी चाहिए।
- 8 कोटेशन खोलने के समय एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि प्राधिकरण-पत्र (Authorization Letter) के साथ उपस्थित हो सकेगा।
- 9 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी कोटेशन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 10 प्राप्त कोटेशन दिनांक 13.07.2026 को अप० 01:00 बजे से त्रिसदस्यीय क्रय समिति के समक्ष प्राधिकरण कार्यालय में खोला जायेगा।

विश्वासभाजन,


सचिव।